P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-1* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा योजना का योगदानः बिहार के सन्दर्भ में

रिंकी कुमारी
गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
वीमेन्स कॉलेज समस्तीपुर,
ल0ना0मि0वि0वि,
दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है अर्थात हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि के आधारभूत कार्यों में अपना जीवन यापन करती है। परन्तु कृषि कार्यों को आधुनिक भारत में पेशे का स्वरूप न देकर इसे मौसमी कार्यों का स्वरूप दिया गया है। अर्थात ग्रामीण अपनी कृषि के कार्यों के बाद बेरोजगारी का सामना करता है और यही से वह गरीबी की ओर अग्रसर होता जाता है। ग्रामीण किसान रोजी मजदूरी करके हम सभी के लिए अन्न उगाते हैं। इसी गरीबी उन्मूलन में मनरेगा एक सशक्त योजना है।

मुख्य शब्द : गरीबी, रोजगार, मनरेगा, पंचायती राज व्यवस्था।

प्रस्तावना

भारत में श्रमिक संगठन कई वर्षों से रोजगार की गारंटी तथा कार्य के प्रति उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त हो इसकी मांग करते रहे हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए गांव से शहर की ओर रोजगार के लिए ग्रामीणों का पलायन रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'' (नरेगा) लोकसभा में 23 अगस्त 2005 को ध्वनिमत से पारित हुआ। 2 अक्टूबर 2009 से इस अधिनियम को महात्मा गांधी के नाम से समर्पित करते हुए इसका नाम ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम '' (मनरेगा) कर दिया। प्रारम्भ में यह भारत के 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। मनरेगा अधिनियम रोजगार पाने की गारंटी का कानूनी अधिभार उपलब्ध कराता है। इस योजना के अन्तर्गत किसी वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिन के लिए वयस्क ग्रामीण को रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य विवरणी निम्न प्रकार है–

1. जल संरक्षण एवं जल संवर्धन
2. सुखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं संरक्षण
3. सिंचाई के लिए व्यवस्था
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों या भूमि सुधार, बीपीएल के आवास योजना
5. परम्परागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुनरूद्धार, तालाबों का उराहीकरण
6. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजना जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों का पानी निकासी
7. बागवानी या भूमि विकास
8. ग्रामीण इलाकों में यातायात की सुविधा
9. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया कोई अन्य कार्य।

मनरेगा लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी मजबूत हुआ है। लोगों को अपने ही घर के आसपास काम मिल रहा है। मजदूर को इस बात की खुशी ज्यादा होती है कि काम के साथ मान सम्मान भी मिला है। कार्यस्थल पर उनके जरूरत का भी ध्यान रखा जाता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वह काम में कम से कम एक तिहाई महिला को रोजगार दे। रोजगार स्थल पर उनके बच्चे का व्यवस्था की जानी है। अगर पांच या ज्यादा महिला को बच्चा है तो एक महिला को बच्चा के देखभाल के लिए रखा जायगा और उसे पूरा मजदूरी मिलेगा। मजदूर को काम अधिकतकम 5 किलोमीटर के अन्दर रोजगार देना है।

तथ्य विश्लेषण

विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम नरेगा के रूप में 2006 में आंध्रप्रदेश के अनंतपुर से हुआ और 200 जिलों में शुरूआत में संचालित

की गई। 1 अप्रिल 2008 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर म0 नरेगा कर दिया गया।

म0 नरेगा एक विशिष्ट अनोखा कार्यक्रम है जो ग्रामीण गरीबों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। यह अकुशल श्रम को बढ़ावा देता है। उल्लेखनीय है कि, म0नरेगा कार्यक्रम विधि कार्यक्रम है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण गरीबी को कम करना
2. श्रम के पलायन को रोकना
3. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
4. ग्रामीण स्थाई परिसम्पत्ति का निर्माण करना
5. लोगों को रोजगार देना ताकि लोगों की आय, क्रयशक्ति बढ़ सके
6. पंचायती राज संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण बनाना।

विशेषता

1. जॉब कॉर्ड मिलने पर 15 दिन के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दी जायेगी।,
2. अनिवार्य रूप से 36 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार की सुविधा
3. कार्यस्थल पर बच्चों के लिए कक्ष की सुविधा
4. 5 किमी के अन्दर रोजगार प्रदान करना, यदि किसी स्थिति में 5 किमी दायरे के भीतर रोजगार न दिया गया हो 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता।
5. कार्य पूरा हो जाय तो 7 दिन के भीतर डीबीटी से रूपया खाते में हस्तांतरित किया जाता है।
6. 100 दिनों का रोजगार है।
7. पंचायत के द्वारा क्रियान्वित होता है।
8. परियोजना लागत का 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य खर्च करेगा।

लाभ

1. महिलाओं की हिस्सेदारी कार्य उपलब्धि में 55 प्रतिशत रही।
2. अनुसूचित जनजातियों का भी कार्य प्रतिशत में वृद्धि।
3. अनुसूचित जाति–जनजाति का क्रय शक्ति बढ़ी।
4. खाद्य सुरक्षा मिली।
5. 2006–19 के बीच 5 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन इस योजना में हुआ जिससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी, ग्रामीण बाजार का विस्तार हुआ। ग्रामीण साख में वृद्धि हुई। बैंकिंग आधार बढ़ा, आर्थिक षांति के साथ–साथ सामाजिक शांति में वृद्धि हुई।
6. शहरी पलायन में कमी आई।
7. ग्रामीण बेरोजगारी के वृद्धि दर में भी कमी देखी गई।
8. म0 नरेगा से मजदूरी दर में वृद्धि हुई जिससे मोलभाव क्षमता में भी वृद्धि हो गई।
9. ग्रामीण गरीबी की दर में कमी आई।

सुझाव

1. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में पूरे साल 40 दिनों का ही कार्य दिवस सृजित किया जा सका।
2. इस योजना में कच्ची मिट्टी का काम सबसे अधिक हुआ।
3. जॉब कार्ड को लेकर भारी अनियमितता देखी गई।
4. मनरेगा में प्रयोग करने वाली वस्तुएं और श्रम लागत को 40:60 माना गया है जबकि वास्तव में यह 60:40 निकाला। वस्तुओं को जानबूझकर महंगा कर दिखाया गया।
5. मनरेगा रोजगार की गारंटी तो देता हे लेकिन निश्चित आय की गारंटी नहीं देता है।
6. कृषि क्षेत्र में लागत में भी वृद्धि हो रही है।
7. इस योजना का एक आधार वित्तीय भी है। कुछ समितियों को यह कहना भी है कि जितनी बड़ी धनराशि इसमें व्यय की गई उसके द्वारा प्रशासनिक सुधार के माध्यम से बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं।
8. सार्वजनिक कार्य योजनाओं के अन्तिम उत्पाद जैसे– जल संरक्षण, भूमि विकास, वनीकरण आदि पर समाज के कमजोर वर्ग कम लाभान्वित है अमीर वर्ग की तुलना में।
9. मजदूरों में ही जानेवाली दैनिक मजदूरी का विभिन्न कार्यों में असमान वितरण है।

सुधार हेतु उपाय

मनरेगा को तर्कसंगत और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे अधिक से अधिक उत्पादक कार्यों में जोड़ रही है–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना
2. स्वच्छ भारत अभियान
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तालाब और बांधों का निर्माण जैविक खेती के लिए कम्पोष्ट गढ़े का निर्माण में सरकार ने मनरेगा से जोड़ा है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अंकेक्षण पर बल दिया गया है। साथ ही वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए इस योजना के खाताधारी को डीबीटी और National Electronic fund management system से आधार आधारित जोड़ दिया गया है।

बिहार

हाल में बिहार सरकार ने मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में चल रहे प्रत्येक कार्य की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया एवं मनरेगा से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई का निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में स्वतंत्र प्राधिकार के रूप में लोकपाल की नियुक्ति की गई है और राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए State quality निगरानी पैनल का गठन किया गया है। साथ ही, social audit से संबंधित प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों का चयन हुआ और District Resource Team का गठन किया गया। साथ ही, मिहीर साह समिति की अनुशंसा के आलोक में मजदूरी भुगतान के विलंब किये जाने की स्थिति में जिम्मेदार पदाधिकारियों के वेतन से क्षतिपूत्ति राशि वसूल की जायेगी।

बिहार में म0नरेगा के जॉब कॉर्ड धारकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की दिशा में पहल की गई है एवं बिहार सरकार ने मनरेगा के दायरे को विस्तार करते हुए इसे स्थायी आजीविका सुनिश्चित योजना से जोड़ा जा रहा है।

निष्कर्ष

ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी से उत्पन्न दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा एक सफल योजना है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक बुनियादी ढांच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले रोजगार गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसके माध्यम से ग्रामीण में गरीबी का प्रतिशत कम हुआ है। रोजगार उन्मुखी तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा योजना अपने कार्यों तथा परिणामों के आधार पर यह योजना भविष्य में ग्रामीण रोजगार के प्रतिशत में वृद्धि करते हुए ग्रामीण उन्मूलन से भी हमारे देश के विकास के मार्ग में पथ प्रदर्शक का काम कर रही है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रो0 गुप्ता एवं सक्सेना– भारत की आर्थिक समस्याएं– नवयुवक साहित्य भवन, आगरा–2006*
2. *रूददत्त एवं सुंदरम– भारतीय अर्थव्यवस्था, राम निगम प्रकाशन दिल्ली–2007*
3. *कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका–नवम्बर 2012*
4. *नवभारत टाइम्स समाचार पत्र मनरेगा और गरीबी – 03.04.2013*
5. *डायार जे0बी0 वेती एस.जी. कुशवाहा डी.एस– भारतीय अर्थव्यवस्था, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली–1961*
6. *ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, महात्मा गांधी मनरेगा समीक्षा ओरियंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली–2012*
7. *मिश्र डॉ0 एस.के एवं पुरी वी0के0 भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालिया पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली–2006*
8. *कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, जनवरी 2013*
9. *कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका–दिसम्बर 2009–पृष्ट–2*
10. *योजना मासिक पत्रिका–अगस्त 2008 पृष्ट–17*